राजस्व वाद संख्याः– 162/2020
GCMS NO- 2020/00327
रायसिंह बनाम किताबों आदि
निर्णय दिनांकः– 16/9/22

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 162/2020 GCMS NO- 2020/00327

रायसिंह पुत्र हरदान सिंह उम्र 82 साल जाति अहीर निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

......आवेदक

ब–ना–म

1. किताबो पुत्री हनुमान उम्र 40 साल जाति मेघवाल निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
2. बुद्धराम उम्र 30 साल
3. महाबीर उम्र 45 साल पुत्रान हनुमान समस्त जाति मेघवाल निवासी बडबर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
4. लैण्ड होल्डर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

......अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय :: दिनांक :– 16/9/22

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम बडबर तहसील बुहाना स्थित हाल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 अनुसार खाता संख्या 400 के खसरा नंबर 1010 रकबा 2.62 है. के खातेदार काश्तकार आवेदक अकेला ही है और अकेला ही काश्त करता है। आवेदक की भूमि खसरा नंबर 1010 रकबा 2.62 है. के दक्षिण दिशा की ओर आम रास्ता जो ग्राम बडबर से नरात को आने जाने वाला आम रास्ता है उनके बीच में खसरा नंबर 1748/1008 रकबा 0.70 है., ख.नं. 1009 रकबा 1.18 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.88 है. के खातेदार काश्तकार अनावेदक सं. 1 लगा. 3 है। आवेदक को आम रास्ता तक जाने के लिये आवेदक की भूमि से दक्षिण की ओर खसरा नंबर 1748/1008 तथा खसरा नंबर 1009 है जो अनावेदक सं. 1 लगा. 3 की भूमि आम रास्ता और आवेदक के मध्य में स्थित है। आवेदक को अपनी भूमि ख.नं. 1010 रकबा 2.62 है. में जाने के लिये कोई वैकल्पिक [illegible] नहीं है। आवेदक की भूमि खसरा नंबर 1010 के लिये कोई भी रास्ता उपलब्ध नहीं होने [illegible] नंबर 1748/1008 तथा खसरा नंबर 1009 की सीमा पर आवेदक की भूमि से आम [illegible] आवेदक लिये सबसे सुलभ एवं नजदीकी रास्ता कायम किये जाने योग्य है। [illegible] धारा 251(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार डी.एल.सी. की [illegible] गुनी राशि का भुगतान [illegible] को तैयार व तत्पर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chauhan
Date: 2022.11.23 16:22:57 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्याः– 162/2020
GCMS NO- 2020/00327
रायसिंह बनाम किताबों आदि
निर्णय दिनांकः– 16/9/22

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बडबर स्थित भूमि खसरा नंबर 1010 रकबा 2.62 है. के लिए खसरा नंबर 1748/1008 रकबा 0.70 है. व ख.नं. 1009 रकबा 1.18 है. की सीमा पर से 15 फीट चौड़ा रास्ता आम रास्ता गांव बडबर से नरात तक दिलवाया जाकर रास्ते में आने जाने वाले रकबे की डी.एल.सी. की दर की दुगुनी राशि अनावेदक सं. 1 लगा. 3 को दिलवाई जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्त रकबा को गै.मु. रास्ता दर्ज कर मौके पर 15 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, बुहाना से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, बुहाना ने जरिये पत्र क्रमांकः भू.अ./22/657 दिनांक 12.03.2022 से पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बड़बर की मूल रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो निम्नानुसार है कि प्रार्थी अपने खेत ख.नं. 1010 से बडबर से नरात जाने वाले रास्ते तक ख.नं. 1748/1008 व ख.नं. 1009 के मध्य सींव के सहारे–सहारे रास्ता चाहता है जो कि निकटतम व आवश्यक है। उक्त रास्ते की लम्बाई 150 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 600 वर्गमीटर होता है। उक्त रास्ता ख.नं. 1748/1008 में प्रार्थी चाहता है जिसकी रिकार्ड के अनुसार खातेदारी कितबो पुत्री हनुमान, बुद्धराम पुत्र हनुमान व महावीर पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी बडबर के नाम दर्ज रिकार्ड है। जबकि मौके पर कब्जा काश्त महेन्द्र, रोहताश पि. नत्थूराम जाति मेघवाल निवासी बडबर का है। उक्त रास्ते में खेजड़ी के दो पेड़ आ रहे हैं। सहखातेदार बदामा पत्नी हनुमान फौत हो चुकी है।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार, बुहाना के पत्र दिनांक 12.03.2022 के संलग्न पटवारी हल्का बडबर एवं भू–अभिलेख निरीक्षक बडबर का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, बुहाना पत्र दिनांक 12.03.2022 के संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक वृत बड़बर के संलग्न नजरी नक्शा में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को खसरा नंबर 1010 में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 1748/1008 में से प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही से) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 600 वर्गमीटर बनता है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 1010 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:57 IST
Reason: SelfAttested

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, बुहाना दिनांक 12.03.2022 के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बडबर तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नंबर 1010 रकबा 2.62 है. में जाने के लिए आम रास्ता बडबर से नरात से अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि ख.नं. 1748/1008 रकबा 0.70 है. में से 150x4 = 600 वर्गमीटर पुख्ता आम रास्ता ख.नं. 1010 तक नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 600 वर्गमीटर भूमि की दुगुनी राशि प्रार्थी तहसीलदार, बुहाना के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, बुहाना खसरा नंबर 1748/1008 के खातेदारों/अप्रार्थीगण को प्रतिकार की नियमानुसार अदा करेंगें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 1748/1008 के रकबे में से रास्ते की बाबत 600 वर्गमीटर भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म "गैर मुमकीन रास्ता" के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 16/9/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.11.23 16:22:57 IST
Reason: SelfAttested